| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | यशोदा बेवा मांगीलाल निवासी बोराणा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर<br>प्रकरण संख्या - 79/2020 (2020/00120) | |
| 28/2/21 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है, पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने/अन्य राजकार्य में व्यस्त PC का गणना कार्य में व्यस्त होने/बार एसोसियेशन की प्रार्थना से पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4/3/21 को पेश हो। | |
| 4/3/21 | पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली वास्ते जवाब पेशी वास्ते सरकार के दिनांक 25/3/21 को पेश हो। | |
| 25.03.2021 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस के लिए निवेदन किया जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश निर्णय के दिनांक 01.04.2021 पेश हो। | |
| 01.04.2021<br>प्र०सं० 79/20<br>2020/00120 | पत्रावली पेश हुई प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीयाँ के खातेदारी आधिपत्य के आराजी नं० 4171 रकबा 0.02 हे० भूमि दर्ज रिकार्ड है उक्त आवंटित भूमि जरिये नामान्तरण 1768 दिनांक 20.05.1986 के जरिये प्रार्थीयाँ के नाम गैरखातेदारी के नाम दर्ज हुई। जो आज तक गैरखातेदारी रिकार्ड में दर्ज है, प्रार्थीयाँ का आवेदन स्वीकार फरमाया जा कर विपक्षी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया विपक्षी की ओर से जवाब के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीयाँ का मौके पर आवंटन ... किया नहीं है प्रार्थीयाँ के विरुद्ध कब्जे ... | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:20:01 IST
Reason: SelfAttested

प्र०सं० 7/20 2020/00120

रामपुर बोराणा सड़क सीमा में होने से प्रार्थीयों के विरुद्ध आवन्टन निरस्त हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के न्यायालय में 14(4) के तहत विपक्षी द्वारा अपील कर रखी है, जो विचाराधीन होते हुये भी प्रार्थीयों द्वारा जान-बुझ कर यह प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसे खारिज फरमाया जावें।

दोनों पक्षो की बहस पर मनन किया तो पाया की प्रार्थीयां के नाम भूमि गैर-खातेदारी नाम से दर्ज है किन्तु मौके पर भूमि सड़क सीमा में होने से प्रार्थीयां का कब्जा नही है जिस कारण आवंन्टन निरस्त करने हेतु जिला कलक्टर महोदय न्यायालय में अपील विचाराधीन होना अवगत कराया गया। एक ही भूमि को लेकर दो न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन नही हो सकते है, जब प्रार्थीयां के विरुद्ध अपील न्यायालय में अपील विचराधीन है जो भी कथन प्रार्थीयां की ओर से कराना चाहे वह मान्य जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में पेश करे, प्रार्थीयां का आवंन्टन अपील न्यायालय द्वारा बहाल रखे जाने पर अपील न्यायालय के निर्णय अनुसार पालना की जायेगी। एक ही भूमि को लेकर दो न्यायालय में प्रकरण विचराधीन नही हो सकते ऐसी स्थिति में प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नही है।

**—ः आदेश ः—**

अतः प्रार्थीयाँ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे वर्णित भूमि से सम्बधित श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में आवन्टन निरस्त कराने सम्बन्धी प्रकरण विचराधीन होने से प्रार्थीयाँ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA बाहक विपक्षी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:20:01 IST
Reason: SelfAttested